न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 21/2022

श्री रामकिशोर मीणा, रामकिशन मीणा, रामलक्ष्मण मीणा निवासी ग्राम भड़गपुरा, पोस्ट चतुर्भुजपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई जिला—टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 25.07.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला—टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19—04—2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

मेने मेरी जमीन खसरा संख्या 81/4 है जिसकी प्रार्थना पत्र 10.03.2022 को माननीय तहसीलदार महोदया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस खसरा नं. 81/4 की तरमीम मौका स्थितिनुसार करवाने का निवेदन किया गया त्त पश्चात इस कम में वर्तमान पटवारी द्वारा मौका स्थिति अनुसार रिपोर्ट बनाना दिनांक 5.04.2022 को तहसील कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया था लेकिन उसके बाद में क्या कार्यवाई की गई है नही कि गई हो तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाये और (1) पहले वाले पटवारी रामस्वरूप ने यह तरमीम किस आधार से कि गई थी। (2) पटवारी रामस्वरूप ने खसरा नं. 318/2 में अतिरिक्त खसरा संख्या 305 किस आधार पे काटा गया है। (3) मुझे भड़ंगपुरा की सम्पूर्ण सीट जो अभी कार्य अधीन है यह उपलब्ध कराया जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला—टोंक को पत्र क्रिमांक 634 दिनांक 16—6—2022, 669 दिनांक 30.6.2022 व 710 दिनांक 12.07.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई द्वारा पत्र कमांक: 10192 दिनांक 11—07—2022 से जवाब प्रेषित किया है कि [illegible] द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 1019[illegible] दिनांक 11.07.2022 से सूचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:21 IST
Reason: SelfAttested